

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.ए.



मि0न0 - 14/2017

अनवान :-

सुन्दर पत्नि दुनीराम जाति जाट निवारी गुसाईयाना व अन्य

-अपीलांत

वनाग

राजकौरी बेवा श्योचन्द जाति जाट निवारी गुसाईयाना व अन्य

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व प्रार्थना पत्र
धारा 5 गियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी

उपरिस्थिति :- श्री कृष्ण मर्ग अपीलाण्ट

श्री मदनलाल सोनी रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक: 04.11.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रामजीलाल व गणपत मि0 लेखू दो भाईयों की चक 3 एनटीआर में 30-08 बीघा व चक 1 बीआरडब्ल्यू में 13-16 बीघा बहिस्सा बराबर पुख्ता अलॉट शुदा कृषि भूमि हुआ करती थी जिसकी समरत किस्ते सयुक्त तौर पर दाखिल करने पर दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये थे। मजदूर अपील चक 3 एनटीआर की खातेदारी की बाबत है जिसमें चक 3 एनटीआर के मु0न0 7 के किला न0 20, 21, 22, मु0 न0 8 किला न0 22 ता 25, मु0 न0 17 किला न0 1 ता 15 कुल 20-19 बीघा जिसमें नहरी 20-25 बीघा खाला 8 बिस्वा रास्ता 6 बिस्वा वाद भूमि है। उक्त वाद भूमि रामजीलाल व गणपत दोनों भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। रामजीलाल के तीन बेटे दुनीराम, ताराचन्द, श्योचन्द उर्फ शिवनन्द हुये। अपीलांट दुनीराम के वारिसान है जबकि रेस्पोंडेण्ट ताराचन्द व श्योचन्द के वारिसान है। रामजीलाल का भाई गणपत कुवारा फौत हुआ था जिसकी सेवा चाकरी दुनीराम पुत्र रामजीलाल जो अपीलांट 01 का पति तथा अपीलांट 2 ता 8 के पिता है के द्वारा की जाती थी। गणपतराम ने दुनीराम की सेवा चाकरी से खुश होकर दोनों आराजी यथा चक 3 एनटीआर व चक 1 बीआरडब्ल्यू व रौही गुसाईयाना की भूमि की एक वसीयत दिनांक 07.02.1966 को दुनीराम के पक्ष में लिखवाकर सब रजिस्टार सिरसा के यहां तस्दीक करवा दी थी। इस प्रकार गणपत की मृत्यु के बाद उसके जायजाद का हकदार अपीलांट का पिता दुनीराम हुआ व आराजी काश्त करता रहा। लेकिन अपीलांट के पिता दुनीराम भोला भाला किस्म का होने के कारण तथा ताराचन्द व श्योचन्द चालाक प्रवृत्ति का होने के कारण गुपबुप तरीके से गणपतराम के हिस्से की आराजी का नामान्तरण रामजीलाल वल्द लेखू के नाम नामान्तरण सं0 44 दिनांक 16.10.1977 अमल दरामद करवा लिया व उसी दिन नामान्तरण सं0 45 अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसकी सुचना दुनीराम व उसके वारिसानों को नहीं लगने दी गयी थी। (राजस्व) और (पीठासीन) ही उक्त नामान्तरण के संबंध में ग्राम पंचायत नेटराना ने कोई सूचना या नोटिस दुनीराम को दी। इस प्रकार नामान्तरण सं0 45 कतई अवैध खिलाफ कानून होने के कारण काबिल अपास्तनीय है। क्योंकि उक्त इंतकाल करने से पूर्व अपीलाण्ट को कभी नोटिस सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए वे समय अवधी में नामान्तरण की अपील नहीं कर सके थे।

और अब नामान्तरण की जानकारी होते ही नकले लेकर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके लिए कानूनन भियाद धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनकी अपील अन्दर भियाद तस्सवर कर सुना जावे व उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दिनांक 18.10.1977 को स्वीकृत नामान्तरण सं० 45 अपारत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तागिल होने पर रेस्पोंडेंट अधिवक्ता जवाब/आपति अपील के साथ जवाब प्रार्थना पत्र भियाद अधिनियम धारा 5 तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश किये गये।


बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त इंतकाल करने से पूर्व अपीलांट को कभी नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए वे समयावधि में नामान्तरण की अपील नहीं कर सके थे और अब नामान्तरण की जानकारी होते ही नकले लेकर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके लिए कानूनन भियाद धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी किया पेश गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ना ही ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस प्राप्त हुए लेकिन जब अपीलांट के पिता को नामान्तरण की जानकारी हुई तो उन्होने बिना किसी तरीके न्यायालय हाजा में 1993 में एक वाद प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट के पिता दुनीराम अपनी मृत्यु तक उक्त मुकदमा की पैरवी स्वयं करते थे जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु 07.02.2016 को होने पर अपीलांट ने कागजात सम्भाले तो उन्हे राजस्व वाद होने की जानकारी हुई जिस पर वे राजस्व वाद में मृतक के स्थान पर जायज वारिसान के रूप में कायम मुकाम है। तथा उक्त प्रकरण के संबंध में अपीलांट को अपील होने की कानूनी जानकारी नहीं मिल पाई थी और उक्त दावा की सदभावी ट्रायल चलती रही है। लेकिन अब अपीलांट को अपील की कानूनी जानकारी मिलते ही पटवारी हल्का से नकले हासिल कर उक्त अपील प्रस्तुत की है, इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील में किये गये कथन सही नहीं है। उक्त वाद भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत नेटराना में जांच आदि के बाद तस्दीक हुआ है। दुनीराम की मृत्यु के बाद अपीलांट लगभग 40 वर्षों के बाद तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार अपील करने के किसी प्रकार से कानूनी अधिकारी नहीं है। अपीलांट के द्वारा किया गया कथन कि दुनीराम को नामान्तरण की जानकारी होने पर दुनीराम के द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि प्रस्तुत किया तो दुनीराम को अपील का अधिकारी 1993 में ही प्राप्त हो गया तो दुनीराम ने अपनी मृत्यु दिनांक 07.02.2016 तक लगभग 23 वर्षों तक अपील प्रस्तुत नहीं की। दुनीराम की मृत्यु के बाद अपील

निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलान्त ने अपने तथ्यों में बताया है कि अपीलान्त के पिता द्वारा लगभग नामान्तरण के 16 वर्षों के बाद न्यायालय हाजा में एक बाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय हाजा में विचाराधीन दाय 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि का अवलोकन भी किया गया प्रस्तुत प्रकरण दुनीराम के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जिससे साबित है कि अपीलान्त के पिता को नामान्तरण दर्ज होने की जानकारी 1993 से ही थी। अपीलान्त ने अपने किसी भी दस्तावेजातों में ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके पिता उनसे अलग रहते थे जिससे उन्हें उक्त वाद अथवा नामान्तरण तस्दीक की जानकारी नहीं हुई थी। नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षों बाद व वाद प्रस्तुति के लगभग 23 वर्षों के बाद अपील प्रस्तुत करने का ये कारण कि अपीलान्त को अपील की कानूनी जानकारी नहीं थी, पर्याप्त नहीं है। अपीलान्त के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हक हिस्सा की घोषणा होनी है तथा साक्ष्य सुनवाई के बाद पक्षकारान का हक हिस्सा निर्धारित होना है जिसकी निरन्तर सुनवाई न्यायालय हाजा में जैरकार है। इस प्रकार यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलान्त अथवा इनमें से किसी भी सदस्य को नामान्तरण अथवा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं थी क्योंकि मद्र संख्या 10 में अपीलान्त स्वयं स्वीकार कर आये है कि निर्धारित अवधि में इन्तकाल की अपील नहीं कर सके। अतः यह कथन अपीलान्त का न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षों अथवा 14,600 दिनों के बाद प्रस्तुत की गई है। न्यायालय को उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पर मियाद अधिनियम धारा 5 व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी किसी भी तरीके से अपीलान्त के पक्ष में प्रतित नहीं होते है। इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा निम्न नजीरों का अवलोकन किया गया-

1. 2010(2) आरआरटी 801 (एस.सी) में 3 दिन के विलम्ब को उचित कारण नहीं दर्शाने के कारण मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया, हस्तगत प्रकरण में भी नहीं दर्शाया गया है।
2. 1997 आरआरडी 350 स्टेट बनाम सुखदेव में राज्य सरकार की 63 दिन देरी से बिना औचित्य स्पष्ट किये पेश अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया।
3. 2002 आरआरडी 632 केन्द्र सरकार बनाम बिजलाल व अन्य में केन्द्र सरकार द्वारा 83 दिनों की देरी के अपर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने के कारण अपील अन्धर मियाद नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार व वर्णित दृष्टांतों का परिशीलन करने पर ये स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये कारण पर्याप्त विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण बताना आवश्यक था परन्तु ना ही अपीलान्त द्वारा किये गये कथन साबित होते है चूकि नामान्तरण तस्दीक अवधि तथा न्यायालय


 अधिकारी (राजस्व,
 जिला-हनुमानगढ़)


हाजा में दायर दावा की अवधि कमशः 40 वर्ष तथा 23 वर्ष तक लम्बी होने के कारण मियाद अधिनियम बिन्दू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीस में प्रस्तुत तथ्य अपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत अपील 2017 में पेश की गई। 40 वर्षों के पश्चात पेश की गई अपील में धारा 5 के प्रदत्त यह देखा जाना आवश्यक है कि इतनी लम्बी अवधि से अपील पेश किये जाने का पर्याप्त हेतुक दर्शाया जावे। अपीलाण्ट द्वारा इतने अधिक वर्षों से हुई देरी का कोई पर्याप्त संतोषजनक व विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रकरण में गुण अवगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद अधिनियम को इस प्रकार से पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिनांक 16.10.1977 के नामान्तरण व उसके पश्चात की गई गजस्ट रिकॉर्ड की कार्यवाही को अपील के समरी ट्रायल के माध्यम से निर्णित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः न्यायालय रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिये गये तर्कों से समर्थन रखते हुए व अपीलाण्ट द्वारा अपील को अत्यंत देरी से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाने व अपील अपीलाण्ट मियाद अवधि से बाहर होने एवं कानून की दृष्टि से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुन्ता तेंदरसे)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़
R.S.